

Government of India  
Ministry of Railways  
(Railway Board)

RBA.No. 9/2022

No. 2017/ACII(CC)/TAM/37/1-e-Part 1

New Delhi, dated


31.1.2022

Principal Financial Advisers,  
All Zonal Railways

**Sub: Implementation of TAMS; Error Sheet Module (ESM) and e Cash Remittance  
note (e-CR note) for coaching**

\*\*\*\*

Kindly refer to Board's letter of even no. dated 29.10.2021, (RBA 58/2021) under which user manual for ESM has been notified. In this regard it is advised that ESM module and e-CR Note module for coaching transactions are now ready for implementation. These modules have since been tested and have also been integrated UTS/PRS/IPAS for seamless flow of data. It is requested, that necessary directives to all concerned may be issued for using both the modules with immediate effect.

  
(Ajay Bartwal)  
Joint Director Finance (CCA)  
Railway Board

Copy to:

Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 09/2022

सं.2017/एसी-II (सीसी)/टीएएमएस/37/1-ई-पार्ट (I)

नई दिल्ली, दिनांक: 31.01.2022

प्रधान वित्त सलाहकार,  
सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषय: यातायात लेखा प्रबंधन प्रणाली (टीएएमएस) का क्रियान्वयन; कोचिंग के लिए  
त्रुटि-पत्र मॉड्यूल (ईसीएम) और ई-कैश रेमिटेंस नोट (ई-सीआर नोट)।

कृपया बोर्ड के दिनांक 29.10.2021 (आरबीए सं.58/2021) के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत ईएसएम के लिए उपयोगकर्ता मॉड्यूल अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि कोचिंग संव्यवहार के लिए ईएसएम मॉड्यूल और ई-सीआर नोट मॉड्यूल क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं। इन मॉड्यूल का परीक्षण कर लिया गया है और डाटा के सुगम प्रवाह के लिए इन्हें यूटीएस/पीआरएस/आईपीएस के साथ एकीकृत किया गया है। अनुरोध है कि दोनों मॉड्यूल का तत्काल प्रभाव से प्रयोग करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(अजय बर्तवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: सलाहकार/रेल मंत्री, ओएसडी/रेल मंत्री, ओएसडी/समन्वय/रेल मंत्री,अपर निजी सचिव/रेल मंत्री